पंजीयन संख्या : 68939/98 अंक – 07, वर्ष 24

ज्ञान तत्व

समाज शास्त्र

अर्थ शास्त्र

धर्म शास्त्र

राजनीति शास्त्र

445

–: सम्पादक :–

बजरंग लाल अग्रवाल

रामानुजगंज (छ.ग.)

सत्यता एवं निष्पक्षता का निर्भीक पाक्षिक

पोस्ट की तारीख 15.04.2024

प्रकाशन की तारीख 01.04.2024

पाक्षिक मूल्य – 2.50/– (दो रूपये पचाय पैसे)

विविध विषयों पर मुनि जी के लेख :

राजनैतिक

वर्ग संघर्ष और वर्ग समन्वय के बीच होगा 2024 का आम चुनाव :

कल दिल्ली और मेरठ में दो अलग-अलग सभाएं हुई। दिल्ली की सभा INDI गठबंधन की थी और मेरठ की NDA गठबंधन की थी। दोनों ने अलग-अलग तरीके से अपनी राजनैतिक प्रतिबद्धताएं प्रकट की। INDI. Al. ने दिल्ली की सभा में यह घोषित किया कि कश्मीर में धारा 370 का होना बहुत आवश्यक है। गठबंधन की कश्मीरी नेताओं ने यह भी घोषणा की कि यदि गठबंधन चुनाव जीत जाता है तो हम कश्मीर में फिर से धारा 370 लागू कर देंगे। दूसरी ओर नरेंद्र मोदी ने यह बात साफ कर दी कि धारा 370 का समाप्त होना देशहित में है और हम ऐसी विघटनकारी धारा को भविष्य में कभी लागू नहीं करेंगे। दिल्ली की सभा में मंच से यह बात दुहराई गई कि कोई भ्रष्टाचार न होते हुए भी झूठे आरोप लगाकर हमारे नेताओं को जेल में बंद किया जा रहा है। दूसरी ओर नरेंद्र मोदी ने यह बात साफ कर दी कि भ्रष्टाचार करने वाले सभी लोग जेल जाएंगे। इस प्रकार के भ्रष्ट लोगों को न्यायालय भी भ्रष्ट मान रहा है और ऐसे लोगों के लिए जितनी आवश्यकता होगी उतनी जगह जेलों में बनाई जाएगी। दिल्ली की सभा में यह बात स्पष्ट की गई कि जाति एक सामाजिक सच्चाई है, हम जाति जनगणना कराएंगे। जातिवाद को कानूनी मान्यता भी प्रदान की जाएगी। नरेंद्र मोदी ने यह बात साफ किया कि जन्म से जाति की बुराई को समाप्त करने की जरूरत है। देश में युवा, महिला, किसान, गरीब जैसी जातियों को मान्यता देने की आवश्यकता है। दोनों ही सभाओं में अन्य अनेक वादे भी किए गए जो एक दूसरे के विपरीत थे। दिल्ली की सभा में यह बात साफ की गई कि यदि पूरी ईमानदारी से चुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी 180 से अधिक सीटे नहीं जीत पाएगी। यदि भाजपा को अधिक सीटे मिलती है तो उसमें भ्रष्टाचार है, सांप्रदायिकता है, ईवीएम है, ईडी और सीबीआई है। दूसरी ओर नरेंद्र मोदी ने यह घोषित किया कि यदि ईमानदारी से चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी 370 सीट से अधिक पाने की स्थिति में है। यह अलग बात है कि सांप्रदायिकता, जातिवाद, वर्ग विद्वेष का सहारा लेकर विपक्ष कुछ सीटे कम करने में सफल हो जाए। इस तरह दोनों ही पक्षों की राजनैतिक प्रतिबद्धताएं स्पष्ट हो चुकी है। एक तरफ है धारा 370 का समर्थन, जातिवाद, अल्पसंख्यक तुष्टिकरण, भ्रष्टाचार तो दूसरी तरफ समान नागरिक संहिता, धारा 370 की समाप्ति, जातिवाद को कमजोर करना और राजनैतिक भ्रष्टाचार पर पूर्ण नियंत्रण। अब देश की जनता को यह तय करना है कि वह दिल्ली घोषणाओं का कितना समर्थन करती है और मेरठ घोषणाओं का कितना समर्थन करती है।

यह हमने उसके व्यावहारिक पक्ष पर विचार किया था अब हम उसके सैद्धांतिक पक्ष पर चर्चा करेंगे। दिल्ली रैली में लगभग सभी नेता एकमत होकर यह विचार दे रहे थे कि भारत में 10 वर्षों से लोकतंत्र खतरे में है। मैंने भी इस पर विचार किया। व्यवस्थाएं दो प्रकार की होती है एक तानाशाही दूसरा लोकस्वराज्य। राजशाही, साम्यवाद और इस्लाम तानाशाही का पक्षधर है तो भारत लोकस्वराज्य का। गुलामी के बाद भारत में तानाशाही और लोकस्वराज्य के बीच लोकतंत्र का मार्ग चुना जो एक तीसरा मार्ग था और पश्चिम से आया। तानाशाही के अपने गुण दोष है और लोकतंत्र के अपने। लोकतंत्र में हमेशा अव्यवस्था होती है जो लोकतांत्रिक भारत में धीरे-धीरे बढ़कर यहां तक पहुंच गई। यदि अव्यवस्था से मुक्ति के लिए लोकतंत्र को त्याग कर लोकस्वराज्य की दिशा नहीं दी गई तो तानाशाही का खतरा बना हुआ है और यही वर्तमान भारत में हो रहा है। दिल्ली में जो लोग इकट्ठे थे वे सब के सब 10 वर्ष पूर्व की लोकतांत्रिक यथास्थिति को बनाए रखने के पक्षधर थे जबकि हम सब लोग उस लोकतंत्र को छोड़कर लोकस्वराज्य की दिशा देने के पक्षधर हैं। इसका अर्थ हुआ कि यदि हम लोकस्वराज्य की दिशा नहीं देंगे तो तानाशाही आएगी ही। लेकिन यह साधारण सी बात हमारे स्वार्थी विपक्षी नेता समझने के लिए तैयार नहीं है। भारत अब यथास्थिति में आमूल-चूल बदलाव चाहता है जो दिल्ली सभा में भाग ले रहे नेताओं से तो मिलना असंभव है। इसीलिए भारत की जनता और मैं भी आंख मूंदकर नए विकल्प को तलाश रहे हैं और नए विकल्प के रूप में अगले 5 वर्षों के लिए नरेंद्र मोदी पर दांव लगा रहे हैं। अभी यह निश्चित नहीं है कि नरेंद्र मोदी लोकस्वराज्य की दिशा में जाएंगे या नहीं,.. जबकि यह बात पूरी तरह सिद्ध है कि विपक्षी दल भारत में किसी बदलाव की कल्पना नहीं कर रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि अब भारत लोकतंत्र को छोड़ रहा है, जिसका परिणाम होगा अव्यवस्था से मुक्ति और उस अव्यवस्था से मुक्ति के लिए भारत तानाशाही की दिशा में जाएगा या लोकस्वराज्य की दिशा में यह भविष्य बताएगा। लेकिन अब तक नरेंद्र मोदी जिस दिशा में जा रहे हैं वह दिशा बहुत ही उत्साहवर्द्धक है। मेरे विचार से 70 वर्षों तक भारत तानाशाही लोकतंत्र की तरफ चलता रहा। भविष्य में यदि अच्छा होना होगा तो लोकस्वराज्य आ जाएगा और बुरा भी होगा तो लोकतांत्रिक तानाशाही आ जाएगी। लेकिन भारत में 70 वर्षों की तानाशाही लोकतंत्र से तो मुक्ति मिल जाएगी। मैं वर्तमान बदलाव के पूरी तरफ पक्ष में हूँ।

उद्योगपतियों के विरोध का परिणाम है कांग्रेस का आर्थिक संकट :

कल एक प्रेस कांफ्रेंस करके राहुल गांधी समेत अनेक कांग्रेसी नेताओं ने इस बात का रोना रोया कि उनके पास पैसे की कमी हो गई है। जिन उद्योगपतियों ने धन दिया है उनमें भी 56% ने भारतीय

जनता पार्टी को और 11% ने कांग्रेस को पैसा दिया है। यह समस्या तो वास्तव में होनी ही थी। उद्योगपति किसी भी राजनीतिक दल को किसी स्वार्थ के लिए ही धन देता है दान नहीं देता। राहुल गांधी को मैंने कई बार कहा था कि आप जिस प्रकार उद्योगपतियों का विरोध कर रहे हैं जिस प्रकार उद्योगों का विरोध कर रहे हैं यह कम्युनिस्ट लाइन है और इससे आपके पास धन की कमी होगी। बड़ी विचित्र बात यह है कि राहुल गांधी ने बड़े उद्योगपतियों का ही विरोध नहीं किया बल्कि उद्योगों का भी विरोध किया। कहीं भी अगर कोयला खनन हो रहा है तो राहुल गांधी पहुंच जाते हैं खदान नहीं चलनी चाहिए, कहीं भी यदि कोई उद्योग लगता है तो कांग्रेस नेता इसका विरोध करने के लिए खड़े हो जाते हैं। मुझे तो आश्चर्य है कि 11% धन भी राहुल गांधी की कांग्रेस को उद्योगपतियों ने क्यों दिया क्योंकि वह तो एक पैसा भी देने लायक नहीं थे। जो व्यक्ति आंख बंद करके उद्योगों का विरोध करता है उसे उद्योगपति धन क्यों दे। मुझे इस बात का संदेह है कि अडानी अंबानी को गाली दिलवाने के लिए जिन उद्योगपतियों ने राहुल गांधी को धन दिया कांग्रेस पार्टी को चंदा दिया उनकी योजना भी अब सफल होने वाली नहीं है क्योंकि सरकार को यह पता चल गया है कि किन लोगों ने कांग्रेस को पैसा दिया है और निश्चित रूप से उनके यहां छापे पड़ेंगे। मैं समझता हूं कि राजनीति में इस प्रकार की गलती कांग्रेस पार्टी को आर्थिक संकट में डाल रही है। कांग्रेस पार्टी को फिर से विचार करना चाहिए। कांग्रेस को यह उम्मीद थी कि जिस तरह चीन सरकार ने उसकी मदद की है उसी तरह चीन की सरकार फिर से उन्हें आर्थिक मदद करेगी यह कांग्रेस पार्टी का सोच में भूल है। विदेशी धन के भरोसे पार्टी नहीं चलाई जा सकती उसे तो भारतीय धन ही उपयुक्त होगा। कांग्रेस पार्टी को अपनी नीतियों पर विचार करना चाहिए।

MARGDARSHAK
मार्गदर्शक
"शराफत से समझदारी की ओर"

काँग्रेस का पूरा संघर्ष व्यवस्था को भ्रष्टाचारी सिद्ध करना है :

कई दिनों से राहुल गांधी इस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे की इलेक्टोरल बांड में अडानी अंबानी जैसे लोगों का नाम आएगा उन्हें इस बात का पक्का विश्वास था कि चुनाव के पहले एक राजनीतिक भूकंप आएगा और उस भूकंप में सत्तारूढ दल धराशाई हो जाएगा लेकिन राहुल और उनके पूरे टीम को इस बात से बहुत निराशा हुई कि इलेक्टोरल बांड रूपी तूफान से एक पत्ता भी नहीं हिला, इस भूकंप से कुछ भी नहीं बदला क्योंकि जिनके विषय में उम्मीद थी उन्होंने दूसरे तरीकों से भारतीय जनता पार्टी को धन दिया, बांड के रूप में नहीं। बांड के रूप में जो भी धन मिला वह सभी राजनीतिक दलों को मिला जिसको जनता से जितना समर्थन प्राप्त था। मैं यह मानता हूं कि उद्योगपति किसी भी समय में दान नहीं करते खासकर राजनीतिक दलों को तो करते ही नहीं है भले ही धार्मिक

दान कर दें। राजनीतिक दलों को अपने स्वार्थ के हिसाब से ही देते हैं और उसी हिसाब से उन्होंने दिए भी हैं लेकिन चुनाव के ठीक पहले राहुल गांधी की सारी उम्मीदें फेल हो गई और अब उनके पास सिर्फ एक ही उम्मीद बची है कि सारे चोर लोगों को एकजुट कर लिया जाए। अगर सभी चोर एकजुट हो जाएंगे तो हो सकता है कि भाजपा के भी चोर लोग उसमें शामिल हो जाए और सभी मिलकर नरेंद्र मोदी की मुहिम को कमजोर कर दें। मुझे लगता है कि राहुल गांधी की यह उम्मीद भी असफल हो जाएगी। मैं अब भी यह महसूस करता हूं कि विपक्ष को भ्रष्टाचार का विरोध करना चाहिए, भ्रष्ट लोगों का समर्थन करना किसी भी दृष्टि से ठीक नहीं है। भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी समस्या है और भ्रष्टाचार का पूरी तरह समापन होना चाहिए।

इलेक्टोरल बांड की भी हवा निकल गई सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत जोर लगाया विपक्षी दलों के नेताओं को तो इलेक्टरल बॉन्ड पर बहुत ज्यादा उम्मीद थी लेकिन जिसे वह एटम बम समझ रहे थे वह तो पटाखा निकला। अब हमारे देश के विपक्षी नेता एकजुट होकर चुनाव आयोग के पास गए हैं कि किसी भी रूप में आप ईडी, सीबीआई से हमें मुक्ति दिलाइए क्योंकि नरेंद्र मोदी पूरी तरह भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने पर तुले हुए हैं और लगभग सभी भ्रष्ट नेता चारों तरफ छटपटा रहे हैं, जेल नहीं जाना चाहते। उनके सामने बहुत आसान मार्ग है वह जाकर नरेंद्र मोदी को प्रणाम कर लें और भविष्य में भ्रष्टाचार न करने की कसम खा लें। लेकिन हमारे देश के नेता इसके लिए तैयार नहीं है क्योंकि जिस मांसाहारी जीव को मानव खून का स्वाद लग जाता है वह घास-पात खाना पसंद नहीं करता। हमारे विपक्षी नेताओं को चूँकि भ्रष्टाचार का स्वाद लग गया है इसलिए उन्हें जेल जाना पसंद है लेकिन ईमानदारी से राजनीति करना पसंद नहीं है। मुझे आश्चर्य होता है कि हमारे सभी राजनेता इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि चुनाव आयोग इस संबंध में कुछ नहीं कर सकता चुनाव आयोग सिर्फ उन्हें सरकारी कर्मचारी के मामले में हस्तक्षेप कर सकता है जिनकी चुनाव कराने में भूमिका हो जो सरकारी कर्मचारी चुनाव से जुड़े हुए नहीं है इस मामले में चुनाव आयोग कुछ नहीं कर सकता लेकिन हमारे विपक्षी नेता इस कदर परेशान हो गए हैं कि वह गली-गली दौड़ रहे हैं। यह बात बिल्कुल निश्चित है कि आपको ईमानदार रहने की गारंटी देनी ही होगी अन्यथा आपका जेल जाना निश्चित है। इसलिए मेरी आपको सलाह है कि जाइए नरेंद्र मोदी से मिलकर ईमानदार रहने का वचन दीजिए और फिर ईमानदारी से राजनीति करिए, आपको किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं रहेगा।

व्यवस्था परिवर्तन के संघर्ष में अरविन्द केजरीवाल ने निराश किया :

MARGDARSHAK
मार्गदर्शक
शराफत से समझदारी की ओर

मैंने जीवन भर लोक स्वराज्य की दिशा में व्यवस्था परिवर्तन के लिए संघर्ष किया। स्वतंत्रता के बाद मुझे पहली बार इस संघर्ष के लिए अरविंद केजरीवाल में सारी संभावनाएं दिखी थी। मैंने अरविंद केजरीवाल को इस संबंध में बहुत प्रोत्साहित और प्रशिक्षित भी किया। जब मुझे यह अनुभव हुआ कि अरविंद केजरीवाल व्यवस्था परिवर्तन का नाटक करके सत्ता संघर्ष की दिशा में जा रहे हैं तब मैंने अरविंद को सलाह दी थी कि तुम अन्ना का साथ छोड़ दो क्योंकि अन्ना हजारे बहुत सज्जन व्यक्ति हैं और उन्हें धोखा देना बहुत घातक होगा। अरविंद ने मेरी बात मान ली। बाद में मैंने अरविंद को सलाह दी थी कि व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ने के लिए ईमानदारी सबसे ज्यादा जरूरी है और सत्ता संघर्ष के लिए भ्रष्टाचार करना वर्तमान समय में एक मजबूरी है। इसलिए यदि आपके साथ कोई बहुत ईमानदार व्यक्ति है तो उसे अलग कर देना ही अच्छा है। अरविंद ने मेरी बात मानकर प्रो. आनंद कुमार, प्रो. योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण आदि को किनारे किया। लेकिन इसके साथ-साथ मैंने यह भी सलाह दी थी कि कभी अपने मुंह से ईमानदार होने की घोषणा मत करना क्योंकि ईमानदारी की घोषणा और भ्रष्टाचार एक साथ नहीं चल सकते, लेकिन अरविंद ने मेरी बात नहीं मानी। दूसरी बात यह भी थी कि जब मैंने भ्रष्टाचार करने की सलाह दी थी उस समय भ्रष्ट राजनीति केंद्र में थी। वर्तमान समय में ईमानदार राजनीति केंद्र में हावी है। ऐसे समय में अरविंद जी को नई परिस्थितियों पर विचार करके ही भ्रष्टाचार करना चाहिए था। अरविंद को प्रधानमंत्री बनने की इतनी जल्दीबाजी भी करना उचित नहीं था। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल ने शराब नीति में चुनाव के लिए पैसा लिया, हो सकता है कि यह पैसा यह लोग घर न ले गए हो। लेकिन सत्ता संघर्ष में अरविंद के साथ जो हो रहा वह स्वाभाविक है। मेरे विचार से अरविंद ने लोक स्वराज्य को धोखा दिया, अन्ना हजारे को धोखा दिया और अपने को ईमानदार कह कर पूरे समाज को धोखा दिया। इसलिए इसका परिणाम भी अरविंद को ही भुगतना पड़ेगा। मुझे अरविंद के जेल जाने से किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हुआ। कुमार विश्वास ने जो प्रतिक्रिया व्यक्त की कि 'कर्म प्रधान विश्व रच राखा जो जस करें सो तस फल चाखा' बहुत सटीक बैठती है। इस संबंध में अन्ना हजारे ने भी बहुत अच्छी प्रतिक्रिया दी है।

मैंने नीतीश कुमार और केजरीवाल को उपयुक्त विपक्षी नेता के रूप में लगातार देखा था। लेकिन केजरीवाल की नीयत गलत प्रमाणित होने के बाद मेरा उनके प्रति विश्वास टूट गया। केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया यह उनकी राजनैतिक मजबूरी हो सकती है। इस भ्रष्टाचार के आधार पर उन्हें बेईमान नहीं कहा जा सकता, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने दो ऐसे कार्य किए जिनके आधार पर उनकी नीयत पर प्रश्न खड़ा होते हैं। अपने सरकारी मकान में 50 करोड़ रूपया खर्च करना उनके लिए कोई मजबूरी नहीं थी लेकिन उन्होंने किया। दूसरा गंदा कार्य उन्होंने यह किया कि पंजाब सरकार बनते ही अरविंद

केजरीवाल ने कुमार विश्वास की गिरफ्तारी का आदेश दिया यह आदेश तो बहुत ही गंदा काम था जो अरविंद केजरीवाल ने किया। इन दो आधारों पर मैंने यह मान दिया कि अरविंद केजरीवाल अन्य विपक्षी नेताओं की तुलना में किसी भी दृष्टि से अच्छे नहीं माने जा सकते। अब तो अरविंद केजरीवाल की गिनती लालू, मुलायम, मायावती, रामविलास पासवान जैसे नेताओं के साथ ही की जा सकती है। अब तो भारत में विपक्षी नेता के रूप में नीतीश कुमार ही दिखते हैं। नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी से दूर होकर विपक्ष की भूमिका निभाते हैं या साथ रहकर यह तो भविष्य में पता चलेगा। लेकिन अब यह बात साफ दिख रही है कि विपक्ष को नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही इकट्ठा होना चाहिए। नीतीश कुमार ने अपने पूरे कार्यकाल में ही उसी तरह कोई गलती नहीं की है जिस तरह मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी ने अपना कार्यकाल पूरा किया। राहुल गांधी जैसे नासमझ और ममता बनर्जी जैसी चालक राजनेताओं को विपक्षी नेता के रूप में आगे आने की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। नीतीश कुमार के भाजपा के साथ गठबंधन के बाद यह बात साफ है कि विपक्षी दल की भूमिका नरेंद्र मोदी की ही टीम से निकलेगी, बाहर से नहीं।

उद्दंड मुसलमान, नक्सलवाद पिछले 10 वर्षों में कमजोर हुए और सुरक्षा बल मजबूत : नेहरू परिवार के भक्त बार-बार यह प्रश्न करते हैं कि नरेंद्र मोदी ने 10 वर्षों में क्या बदलाव किया। मुझे दो-तीन बदलाव तो बिल्कुल साफ दिख रहे हैं। सबसे पहले बदलाव यह हुआ कि पांच सात वर्ष पहले तक यह बात साफ दिख रही थी कि कश्मीर नियंत्रण से बाहर हो जाएगा पत्थर चल रहे थे सुरक्षा बल अपने को असमर्थ पा रहे थे दुनिया की नज़रें लगी हुई थी और पाकिस्तान प्रतीक्षा कर रहा था। उस कश्मीर को नरेंद्र मोदी के प्रयत्नों से ही बचाया जा सका है। यह बात बिल्कुल साफ दिख रही है कि अब कश्मीर हमेशा के लिए भारत का अंग बन गया है हो सकता है भविष्य में कश्मीर का बाकी हिस्सा भी भारत में शामिल हो जाए यह कोई साधारण उपलब्धि नहीं है। दूसरी उपलब्धि भी हम देख रहे हैं कि गुजरात और उत्तर प्रदेश का मुसलमान बहुत ही शराफत की दिशा में बढ़ रहा है। जहाँ मुसलमान का मनोबल पूरे देश में अभी भी काफी बढ़ा हुआ है वहीं उसमें गुजरात और उत्तर प्रदेश में कमी आई है। अब धीरे-धीरे यह मुसलमान समानता का व्यवहार करने के लिए सोच रहे हैं यह कोई साधारण उपलब्धि नहीं है। भविष्य में ऐसा दिख रहा है कि देश के अन्य भागों में भी मुसलमान के व्यवहार में बदलाव दिखेगा। अब एक तीसरी समस्या पर और विचार करते हैं। लगातार यह बात साफ दिख रही थी कि नक्सलवाद अनियंत्रित है चीन इस बात की उम्मीद कर रहा था कि नक्सलवाद के नाम पर भारत में तानाशाही आ सकती है। नक्सलवादी तो धीरे-धीरे भारत का नक्शा भी बनाने लग गए थे वह

MARGDARSHAK मार्गदर्शक शराफत से समझदारी की ओर

यह सपना देखने लगे थे कि अगले 10-15 वर्षों में पूरा भारत उनके नियंत्रण में होगा लेकिन अब धीरे-धीरे नक्सलवाद नियंत्रण में आ रहा है। आज ही नक्सलवादियों के गढ़ बस्तर में 12 नक्सलवादी मारे गए हैं। पिछले एक महीने से जब से छत्तीसगढ़ सरकार में बदलाव आया है तब से ही बड़ी संख्या में नक्सलवादी मारे जा रहे हैं। सरकार ने यह घोषणा भी कर दी है कि अगले दो-तीन वर्षों में हम भारत को नक्सलवाद से मुक्त कर देंगे, ऐसे लक्षण भी दिखने लगे हैं। मेरे विचार से यह तीन ऐसी समस्याएं हैं जो पिछली सरकार में पैदा हुई थी और वर्तमान सरकार इन्हें कंट्रोल कर रही है।

काँग्रेस अपने ही बनाये मनमाने कानूनों की जाल में उलझा :

वर्तमान समय में भारत में आम चुनाव हो रहे हैं इस समय भारत के आयकर विभाग में कांग्रेस पार्टी को 1700 करोड़ रुपया जमा करने का नोटिस दिया है। पिछले चार-पांच वर्षों से कांग्रेस पार्टी पैसा जमा नहीं कर रही थी वह सारा पैसा ब्याज समेत 1700 करोड़ रूपया हो गया। कांग्रेस पार्टी न्यायालय में जाकर स्टे लेती रही और कल न्यायालय ने उनकी याचिका खारिज कर दी। इस तरह अब कांग्रेस पार्टी को 1700 करोड़ रूपया देना है इसका अर्थ यह हुआ कि कांग्रेस पार्टी के जो खाते अभी काम कर रहे हैं वह भी जप्त किए जा सकते हैं। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस पार्टी ने 10 वर्ष पूर्व अनेक ऐसे कानून बना दिए थे जिसे आयकर कानून के अंतर्गत उद्योगपतियों और व्यापारियों को कितना भी प्रताड़ित किया जा सकता था। उन्ही कानून के अंतर्गत और उसी कांग्रेस पार्टी के द्वारा नियुक्त अफसर अब कांग्रेस पार्टी के साथ धन वसूली का अभियान चला रहे हैं। कानून भी वही है और अफसर भी वही है। मैंने पहले भी कई बार लिखा है कि कांग्रेस पार्टी ने दूसरों के लिए जो गड्ढे खोदे थे, उन गड्ढों में अब खुद गिर रही है और जब गिर रही है, तब चिल्ला रहे हैं कि देखिए मेरे साथ अन्याय हो रहा है। दूसरों के साथ अन्याय करने के लिए ऐसे ऐसे रद्दी कानून बनाने में आपको बहुत मजा आ रहा था। वर्तमान चुनाव खत्म होने के बाद वर्तमान सरकार को भी चाहिए कि वह इस प्रकार के कानून पर फिर से विचार करें।

इंडी गठबंधन को अपराधियों से साठ-गांठ बंद करनी चाहिए :

स्वतंत्रता के तत्काल बाद ही राजनीति और अपराध के बीच तालमेल होना शुरू हो गया था और वही तालमेल बढ़ते-बढ़ते यहां तक आ गया कि पूरी राजनीति ही अपराधियों के हाथों में चलने लगी। नेहरू परिवार के नेतृत्व में जिस तरह अपराधियों के साथ तालमेल किया गया वह अब धीरे-धीरे नियंत्रित किया जा रहा है। एक ऐसे ही अपराधी बड़े अधिकारी संजीव भट्ट को भी कल ही

न्यायालय से 20 वर्ष की सजा सुनाई गई। दुनिया जानती है कि गुजरात में भाजपा के लोगों को परेशान करने के लिए कांग्रेस पार्टी संजीव भट्ट सरीखे अपराधियों की मदद लेती थी। मुख्तार अंसारी की मृत्यु पर जिस तरह इंडिया गठबंधन के नेता आंसू बहा रहे हैं उससे यह बात प्रमाणित हो जाती है कि अपराधियों की मदद के बिना इंडिया गठबंधन एक दिन भी जीवित नहीं रह सकेगा। जो मुख्तार अंसारी या अतीक अहमद सारी दुनिया में घोषित और सर्वमान्य अपराधी हैं उनकी मृत्यु पर पारिवारिक सदस्य के मृत्यु सरीखा दुखी होना भी विपक्षी दलों के लिए गंभीर चिंतन का विषय है। सभी विपक्षी दलों को यह बात तय करनी होगी कि वे अपराधी राजनीतिक गठजोड़ की पुरानी कांग्रेसी लाइन पर ही आगे बढ़ना चाहते हैं अथवा अब नई अपराध नियंत्रण की राजनीति की दिशा को ठीक समझ रहे हैं। अब यह संभव नहीं दिखता कि अपराध और राजनीति का गठजोड़ कभी भारत में सफलतापूर्वक आगे बढ़ पाएगा। जब मुख्तार, अतीक, संजीव भट्ट की तूती बोलती थी तब भी आप शराफत की राजनीति को समाप्त नहीं कर पाए। अब तो ऐसे-ऐसे माफिया या तो जेल में बंद है या खुदा को प्यारे हो गए हैं। ऐसी स्थिति में आंसू बहाने की अपेक्षा अपनी राजनैतिक दिशा बदल लेना विपक्ष के लिए ज्यादा उचित होगा। मैं फिर से इंडिया गठबंधन से निवेदन करता हूं कि वे अब अपराध की राजनीति को बंद कर दें और नए सिरे से नई राजनैतिक स्थिति में तालमेल बैठाने का प्रयास करें।

वैचारिक

व्यवस्था परिवर्तन के लिए जनमत एकजुट हो :

हम सत्ता परिवर्तन के नहीं, व्यवस्था परिवर्तन के पक्षधर हैं। व्यवस्था परिवर्तन के पहले लक्षण यह दिखते हैं कि समाज में व्यवस्था की इकाइयां परिवार, गांव, जिला, प्रदेश, देश और विश्व तक जाती हैं यह हमारी भारतीय मान्यता है। विदेश की मान्यता यह है कि जाति, धर्म, संगठन, राजनीतिक दल, भाषा यह सब व्यवस्था की इकाइयां होंगी। इन दो संस्कृतियों के बीच लगातार संघर्ष चल रहा है। स्वतंत्रता के बाद पहले प्रकार की व्यवस्था को कमजोर करके दूसरे प्रकार की व्यवस्था को मजबूत किया गया। अब लक्षण दिख रहे हैं कि धीरे-धीरे पहले से चल रही व्यवस्था को कमजोर किया जा रहा है। धर्म के आधार पर संगठनों को नियंत्रित किया जा रहा है सांप्रदायिकता पर नियंत्रण लग रहे हैं, जातीय आरक्षण के विरुद्ध भी वातावरण बन रहा है, भाषा के मामले में भी हम ठीक दिशा में जा रहे हैं। जाति जनगणना को भी देश का समर्थन नहीं मिल रहा है और दलीय राजनीति भी धीरे-धीरे कमजोर की जा रही है। पूरे भारत में ऐसा साफ दिख रहा है कि अब पक्ष विपक्ष की राजनीति नहीं चलेगी अब तो निष्पक्ष राजनीति चलेगी। इस तरह मेरे विचार से अब देश नई व्यवस्था की ओर आगे

MARGDARSHAK
मार्गदर्शक
शराफत से समझदारी की ओर

बढ़ रहा है जिसमें परिवार, गांव, जिला, प्रदेश, देश और विश्व व्यवस्था की इकाइयां होंगी। संप्रदाय, जाति, भाषा, पक्ष-विपक्ष की राजनीति आदि समस्याएं समाप्त हो सकती हैं। इसके लिए आवश्यक है कि केंद्र में वर्तमान व्यवस्था को दो-तिहाई बहुमत मिले जिससे संवैधानिक तरीके से इस प्रकार के संशोधन किए जा सकें क्योंकि जब तक विपक्ष की कमर टूट नहीं जाएगी तब तक आदर्श व्यवस्था लागू नहीं हो पाएगी। हमें सत्ता पक्ष और विपक्ष की राजनीति नहीं चाहिए हमें निष्पक्ष राजनीति करनी चाहिए।

व्यवस्था कई प्रकार की होती है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और पारिवारिक। इन सब की व्यवस्थाएं अलग-अलग होती हैं। यदि हम इन सभी व्यवस्थाओं में एक साथ सुधार या बदलाव का प्रयत्न करते हैं तो उसे संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन कहते हैं लेकिन वर्तमान दुनिया में राजनीतिक व्यवस्था ने सभी व्यवस्थाओं को गुलाम बना लिया है इसलिए राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन को ही सबसे अधिक महत्व दिया जा रहा है। राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन को ही हम व्यवस्था परिवर्तन कह रहे हैं। राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन का पूर्ण लक्ष्य तो यह है कि संविधान संशोधन में तंत्र की अंतिम भूमिका ना हो बल्कि सहायक की हो। अंतिम भूमिका में तो लोक की भी भूमिका शामिल होनी चाहिए। संविधान लोक और तंत्र के बीच चेक एंड बैलेंस के आधार पर संशोधित या परिवर्तित होना चाहिए, तंत्र के आधार पर नहीं । लेकिन यदि वर्तमान में ऐसा नहीं दिख रहा है तो वर्तमान में तंत्र में आई गंभीर बुराइयों को भी हम व्यवस्था परिवर्तन के साथ जोड़ सकते हैं। इन बुराइयों में सबसे बड़ी बुराई है कि तंत्र जाति, संप्रदाय, लिंग, क्षेत्र, उम्र के आधार पर वर्ग संघर्ष को आधार बनाकर व्यवस्था करना चाहता है जबकि हम लोग परिवार, गांव, जिला, प्रदेश, राष्ट्र के आधार पर मिलजुल कर व्यवस्था करना चाहते हैं। इन दोनों के बीच में जो संघर्ष चल रहा है, इसी संघर्ष में वर्तमान में चल रही व्यवस्थाओं को बदलने के नाम को हम व्यवस्था परिवर्तन नाम दे रहे हैं अर्थात हम सब लोगों को चाहिए कि हम जातिवाद, सांप्रदायिकता, क्षेत्रीयता, लिंग भेद, उम्र भेद के विरुद्ध सामाजिक वातावरण बनाते चलें। वर्तमान राजनीति पक्ष और विपक्ष के बीच बांटकर वर्ग विद्वेष का लाभ उठाने का प्रयत्न कर रही है। हम सत्ता पक्ष और विपक्ष की राजनीति को पूरी तरह नकार कर निष्पक्ष राजनीति की शुरुआत करें। पक्ष विहीन राजनीति की शुरुआत करें, निर्दलीय संसद की कल्पना करें, प्रत्येक सांसद को समानता का अधिकार दें जिससे कि निष्पक्ष राजनीति हमारी व्यवस्था परिवर्तन के मार्ग की शुरुआत हो सकती है। मैं आपसे चाहता हूं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के सड़े-गले लोकतंत्र को नकार दीजिए।

MARGDARSHAK मार्गदर्शक

केजरीवाल की गिरफ्तारी पर विदेशी हस्तक्षेप गम्भीर चिंता की बात है :

एक बात कई बार सुनने में आई कि विदेश से अरविंद केजरीवाल को बड़ी मात्रा में धन दिया गया। दूसरी बात भी पता चली की विदेश के कुछ लोगों ने भी अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक मदद की लेकिन अभी पिछले दिनों एक देश की सरकार ने अरविंद केजरीवाल के पक्ष में एक बयान दिया। आज अमेरिका सरकार ने भी अरविंद केजरीवाल के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हुए सरकार से न्याय करने की इच्छा व्यक्त की। इन बयानों को सुनकर यह बात साफ हो जाती है कि अरविंद केजरीवाल को खड़ा रहने में विदेश की भी बहुत रूचि रही है। यह एक गंभीर प्रश्न खड़ा होता है कि भारत की राजनीति में विदेशी शक्तियां इस प्रकार हस्तक्षेप क्यों करती हैं, उनका उद्देश्य क्या है, हमें यह बात भी समझने की जरूरत है कि जिस तरह अरविंद केजरीवाल के चुनावों ने दिल्ली में चमत्कार किया, पंजाब में भी अप्रत्याशित विजय मिली, उसमें कहीं कोई विदेशी सहयोग तो नहीं था। भारत सरकार को इस संबंध में सावधानी से विचार करना चाहिए। भारत के अनेक मुख्यमंत्री पहले भी गिरफ्तार हो चुके हैं यह कोई पहला मामला नहीं है लेकिन अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर विदेश की इतनी रुचि और चिंता अवश्य ही हमें सावधान करती है। कल जब दिल्ली के उच्च न्यायालय में अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर सुनवाई चल रही थी उस समय दिल्ली के सभी न्यायालयों में वकीलों का एक ग्रुप न्यायालय परिसर में अरविंद के पक्ष में नारे लगा रहा था इससे यह स्पष्ट होता है कि अरविंद केजरीवाल का मामला सामान्य राजनीतिक मामला नहीं है किसी एक राजनीतिक दल का मामला नहीं है बल्कि बहुत ज्यादा उच्च स्तरीय षडयंत्र भी हो सकता है। कल ही अरविंद केजरीवाल की पत्नी ने यह संकेत दिया था कि आज दोपहर में अरविंद केजरीवाल इस 100 करोड़ के भ्रष्टाचार के संबंध में कुछ रहस्य उद्घाटन करेंगे लेकिन आज अरविंद केजरीवाल ने ऐसी कोई भी बात नहीं कही। यह भी एक गंभीर विषय है कि कल अरविंद जो बात बोलना चाहते थे, आज उन्होंने वह बात बोलने से परहेज क्यों किया।

जेल में निरुद्ध संदिग्ध आरोपी द्वारा कार्यपालिक दायित्वों का निर्वहन कितना उचित ?

इस बात पर भारत में सर्वसम्मति है कि हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को मिलाकर चलती है। भारतीय संविधान में तीनों के अलग-अलग स्वरूप भी है और अधिकार भी लेकिन संविधान में अभी तक यह बात बिल्कुल साफ नहीं है कि जेल से विधायिका के लोग ही चुने जा सकते हैं या कार्यपालिका के लोग भी। कार्यपालिका और विधायिका बिल्कुल अलग-अलग होते हैं। मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कार्यपालिका के अंग माने जाते हैं वे

व्यक्तिगत रूप से विधायिका से जुड़े होते हैं लेकिन संवैधानिक स्तर पर वे कार्यपालिका के अंग है। कोई व्यक्ति विधायक के या सांसद के रूप में तो जेल से चुनाव लड़ सकता है या जेल जाने के बाद भी त्यागपत्र नहीं दे सकता है लेकिन क्या संविधान के अनुसार कार्यपालिका के लोग भी जेल से कार्यपालिका के कार्य कर सकते हैं, इस विषय पर स्थिति साफ होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल एक विधायक हैं अरविंद केजरीवाल एक मुख्यमंत्री के रूप में कार्यपालिक पदाधिकारी हैं। यह दोनों उनके साथ जुड़ा हुआ है तो मैं यह बात जानना चाहता हूं कि क्या कार्यपालिका और विधायिका के बीच में अंतर नहीं है क्या दोनों को एक मान लिया जाए और यदि अलग-अलग हैं तो फिर कार्यपालिका के लोग जेल से कैसे अपना कार्य कर सकते हैं।

उच्च सिद्धांतों का पालन विचारक का काम है, राजनेता का नहीं :

मैंने अटल बिहारी वाजपेई के प्रधानमंत्री का कार्यकाल भी देखा है उस समय तो मैं बहुत सक्रिय भी था और अब नरेंद्र मोदी का भी कार्यकाल देख रहा हूँ। अटल बिहारी वाजपेई राजनीति में सफल नहीं हो पाए लेकिन नरेंद्र मोदी सफल हुए क्योंकि अटल बिहारी वाजपेई उच्च सैद्धांतिक नीतियों का पालन करते थे जबकि नरेंद्र मोदी व्यावहारिक राजनीति का पालन करते हैं। अटल बिहारी वाजपेई राजनीति में नैतिकता को बहुत महत्व देते थे नरेंद्र मोदी कूटनीति को बहुत महत्व देते हैं। इन दोनों के अलग-अलग कार्यकाल हुए हैं, दोनों ईमानदार थे लेकिन कार्य प्रणाली दोनों की अलग रही है । मैं तो अटल बिहारी वाजपेई का भी प्रशंसक हूं और वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी का तो पक्षधर ही हूं। मैं यह मानता हूं कि राजनीति कूटनीति का भाग होती है सिद्धांतों का नहीं। यदि आप उच्च सिद्धांतों पर चलना चाहते हैं तो आपको विचारक बनना चाहिए राजनेता नहीं। राहुल गांधी में गंभीर विचारक के गुण तो हैं लेकिन राजनेता के नहीं है इसलिए राहुल गांधी अपनी राजनीति में बिल्कुल असफल सिद्ध हो रहे हैं। यदि सोनिया गांधी, राहुल गांधी को राजनीति से अलग होने की छूट दे दें तो राजनीति छोड़कर राहुल एक विचारक बन सकते हैं अन्यथा राहुल जीवन भर इसी तरह बचपना करने में बिता देंगे।

आत्मनिर्भर देश के लिए आयात घटाने और निर्यात बढ़ाने की जरूरत :

रघुराज राजन एक कांग्रेसी विचारक हैं, विदेश ने उन्हें पढ़ा-लिखा कर तैयार किया और उनको प्रसिद्धि दिलाई, वे भारत के आर्थिक विशेषज्ञ भी रह चुके हैं। रघुराज राजन ने ही राहुल गांधी को भी आर्थिक मामलों में प्रशिक्षित किया है, राहुल की यात्रा में भी वह शामिल हो चुके हैं। रघुराज राजन को भारत अर्थशास्त्री के रूप में वर्तमान सरकार रिजेक्ट भी कर चुकी है।

उन्होंने विदेश के पक्ष में आज एक बड़ा बयान दिया है कि भारत को चिप बनाने के कार्यों पर खर्च करने की अपेक्षा शिक्षा का बजट बढ़ाना चाहिए। चिप बनाने का कोई उद्देश्य नहीं है। चिप तो हम दुनिया से प्राप्त कर सकते हैं किंतु शिक्षा तो हमें खुद ही प्राप्त करनी होगी। हम यदि शिक्षा के मामले में प्रगति कर लेंगे तो हमारे शिक्षित नौजवान चिप तो बनाना खुद ही शुरू कर देंगे। इस प्रकार के ऊल-जुलूल बयान अगर कोई अर्थशास्त्री देता है तो उसकी नीयत पर संदेह होता है। हम दुनिया से आयात करते रहें और आयात के माध्यम से हम विदेशों से कर्ज भी लेते रहें और अपने लोगों को शिक्षा देते रहें, यह बात आज तक मेरी समझ में नहीं आयी। मैं तो इस मत का हूँ कि हमें आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनानी चाहिए। हमें अपने देश से आयात घटाने और निर्यात बढ़ाने की आवश्यकता है। शिक्षा तो हम लोग खुद अपनी आमदनी से भी प्राप्त कर लेंगे लेकिन यह आयात निर्यात का संतुलन तो सरकार के माध्यम से ही दूर हो सकेगा। मैं रघुराज राजन से यह निवेदन करता हूँ कि वह इस प्रकार की सलाह अब देना बंद कर दें क्योंकि अब भारत में कांग्रेस की सरकार नहीं है और राहुल गांधी रिजेक्ट हो चुके हैं। अब नरेंद्र मोदी की सरकार है और अब देश भारतीय विचारों पर आगे बढ़ेगा।

संविधान में शामिल विघटनकारी प्रावधानों की तत्काल सफाई की जरूरत :

कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्ष यह निर्धारण नहीं कर पा रहा है कि वह अगले चुनाव में क्या स्टैंड ले। कभी तो यह लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जनता में अलोकप्रिय हो गए हैं तथा उन्हें किसी भी स्थिति में बहुमत नहीं मिलेगा। दूसरी ओर यही लोग यह बात भी कहते हैं कि दो-तिहाई बहुमत मिलना लोकतंत्र के लिए खतरा है। इसलिए हमारी लड़ाई लोकतंत्र बचाने के लिए है और किसी भी तरीके से भाजपा को दो-तिहाई बहुमत न मिले। अब इन दोनों में से विपक्ष को क्या संभावना दिखती है, यह बात साफ नहीं है। आज कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता भूपेश बघेल ने यह कहा है कि यदि भारतीय जनता पार्टी 400 सीटों के आसपास पहुंच जाएगी तो वह संविधान में मनमाने बदलाव करेगी और यह बदलाव लोकतंत्र के लिए घातक होगा। स्पष्ट दिखता है कि भूपेश बघेल भारतीय जनता पार्टी के बहुमत के प्रति तो आश्वस्त है और उनके अनुसार वर्तमान चुनाव सत्ता संघर्ष न होकर संविधान बचाने का चुनाव है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी यही बात कई बार दुहराई है कि यदि भारतीय जनता पार्टी को दो-तिहाई बहुमत मिलता है तो भविष्य में कोई और चुनाव होने की संभावना नहीं है। हो सकता है कि यह अंतिम चुनाव हो। इस विषय पर मैंने भी बहुत लंबे समय तक विचार किया है। मेरा भी यह मत है कि जब तक सत्ता पक्ष को दो-तिहाई बहुमत नहीं मिलेगा तब तक वह संविधान में शामिल किए गए उस कूड़े कचरे को साफ नहीं कर पाएगा जो पिछली

सरकारों ने समय-समय पर संविधान में शामिल कर लिया है। जातिवाद, आरक्षण, सांप्रदायिकता, क्षेत्रीयता, लिंग-भेद आदि अनेक ऐसे विघटनकारी प्रावधान संविधान में शामिल कर लिए गए हैं जिन्हें तत्काल सफाई करने की जरूरत है। भारत के संविधान निर्माताओं ने जिस तरह भारतीय विचारों की अवहेलना करते हुए पश्चिम का अपरिपक्व लोकतंत्र भारत पर थोप दिया, उसमें भी बदलाव करने की जरूरत है। जिस तरह संविधान को तंत्र का गुलाम बना दिया गया उस प्रावधान में भी बदलाव करके लोक नियंत्रित अलग संविधान सभा के गठन की आवश्यकता है। संविधान सभा और संसद को बिल्कुल अलग-अलग होना चाहिए लेकिन सत्ता-लोलुप नेहरू परिवार ने दोनों को एक कर दिया था।

इसलिए मेरा सुझाव है कि अब विपक्षी दलों के बहकावे में न आकर नरेंद्र मोदी सरकार को दो-तिहाई से भी इतना अधिक बहुमत देने की जरूरत है कि वह संविधान में शामिल किए गए कूड़े-कचरे को आसानी से साफ कर सके। आइए हम सब मिलकर नए भारत की कल्पना करें।

अपराधियों और दबंगों से मुक्ति आवश्यक है :

आज एक और खूंखार माफिया मुख्तार अंसारी की मृत्यु हो गई। मैंने अपने जीवन में अनेक ऐसे खूंखार अपराधियों का कार्यकाल देखा है। इनमें से अनेक ने अहिंसक संघर्ष भी किया है और लड़ाई जीती भी थी। मेरा अपना अनुभव है कि ऐसे खूंखार अपराधियों में मुसलमानों की संख्या करीब 40 प्रतिशत है और उसके बाद ब्राह्मणों की संख्या है। राजपूतों, दलितों या आदिवासियों की संख्या भी मुसलमान और सवर्णों से बहुत कम है। लेकिन ऐसे दबंगों में वैश्य समाज के लोग अपवादस्वरूप ही मिलते हैं जबकि इन दबंगों से प्रभावित सबसे ज्यादा वैश्य समाज ही होता है। वैश्य समाज इन दबंगों से दोनों तरफ से पिसता है। इन दबंगों से सुरक्षा के लिए सरकार और राजनैतिक दल भी वैश्य समाज से टैक्स के रूप में बड़ी मात्रा में धन वसूली करते हैं। जबकि ये दबंग भी सारा पैसा वैश्य समाज से ही वसूल करके अपनी राजनीतिक छवि बनाते हैं। यही कारण है कि भारत का अधिकांश वैश्य समाज भारतीय जनता पार्टी में जुड़ता चला गया। यहां तक कि अन्य राजनैतिक दल दबंगों को अपना भाई बनाने लगे और भारतीय जनता पार्टी को बनिए की पार्टी कहा गया। इन दबंगों से मुक्ति के अभियान की शुरुआत नीतीश कुमार ने बिहार से की। नीतीश ने सिवान में लालू से लड़ाई लड़कर ऐसी दबंगई से मुकाबला किया। बाद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसी एक श्रृंखला ही शुरू कर दी, जिसके आधार पर ये दबंग कमजोर किए जा रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में इस मामले में न्यायालय ने भी अच्छा काम किया है। इन दबंगों की ऐसी दुर्गति हुई है कि आज कोई राजनीतिक दल ऐसे लोगों के पक्ष में खड़ा होने से कतरा रहा है। पप्पू यादव को खड़ा करने के पहले राजनीतिक दलों को बहुत

सोच विचार करना पड़ा है। मुख्तार अंसारी की मृत्यु पर सपा और बसपा ने ही दो-चार आंसू बहाकर अपना पिंड छुड़ा लिया है अन्यथा अब तक मुख्तार की मृत्यु पर कितना भी बड़ा हंगामा हो सकता था। सपा और बसपा ने मुख्तार की मृत्यु पर राजनैतिक संदेह व्यक्त किया है। मेरे विचार से ऐसा संदेह करना सिर्फ औपचारिकता है। लेकिन यदि मुख्तार की किसी योजना के अंतर्गत हत्या भी हुई हो तो हत्या करने वाला बधाई का पात्र है और अगले चुनाव में इसका लाभ उसे अवश्य मिलेगा, जिसने इस प्रकार के दबंगों से मुक्ति के मामले में एक अवैधानिक कदम उठाने का खतरा मोल लिया हो।

मैं इस बात से पूरी तरह संतुष्ट हूँ कि दबंगों से मुक्ति के मामले में देश ठीक दिशा में जा रहा है। जिस बिहार और उत्तर प्रदेश को दबंगों से मुक्त कराने के लिए किसी अवतारी पुरुष को आना पड़ता था वैसी मजबूरी वर्तमान में नहीं दिख रही है।

मुसलमानों को कट्टरता छोड़ बराबरी के मार्ग पर चलना चाहिये :

वर्तमान भारत की सबसे बड़ी समस्या सांप्रदायिकता है। सांप्रदायिकता ने ही भारत का विभाजन कराया। विभाजन के बाद भी लाखों लोग मारे गए। इसके बाद भी सांप्रदायिकता कम नहीं हो पाई क्योंकि मुसलमान संगठित था और संगठन की ताकत पर कांग्रेस पार्टी मुसलमानों से दबी हुई थी। पूरे देश में चाहे वह कश्मीर हो या असम या उत्तर प्रदेश कहीं भी मुसलमानों का संगठित स्वरूप लगातार मजबूत होता जा रहा था। पिछले 10 वर्षों में स्थितियों में बहुत बदलाव आया है। हिंदू भी संगठित हुआ है और भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं के साथ तालमेल कर रही है। इसके बाद भी मुसलमान परिस्थितियों के आधार पर हिंदुओं को बराबरी का अधिकार देने के पक्ष में नहीं है और यदि मुसलमान का एक वर्ग परिस्थितियों को समझना भी चाहता है तो विपक्षी दल उसे समझने नहीं देते। खूंखार अपराधी मुख्तार अंसारी के जनाजे में जिस तरह की भीड़ उमड़ी, वह सिद्ध करती है कि मुसलमान अभी भी समझौते के लिए तैयार नहीं है। राम मंदिर का केस एक ऐसा मामला था जिसमें मुसलमान यदि ठीक से परिस्थितियों का आकलन करते तो भविष्य के सारे झगड़े खत्म हो सकते थे। लेकिन कट्टरवादी मुसलमानों का ग्रुप इसके लिए तैयार नहीं हुआ। अब वाराणसी, मथुरा में भी वैसी ही परिस्थितियां बन रही है। धार में भी लगातार युद्ध का नया मैदान तैयार हो रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2004 के मदरसा कानून को अवैध घोषित करके एक नया मोर्चा खोल दिया है। देश भर के अनेक मस्जिदों के संबंध में चुपचाप नए तथ्य खोजे जा रहे हैं। मुसलमान जब तक बराबरी के आधार पर अन्य धर्म के लोगों के साथ बैठने को तैयार नहीं होगा तब तक उन्हें बलपूर्वक पीछे ढकेला जाएगा और इस कार्य की सीमा क्या होगी, यह नहीं बताया जा सकता। क्योंकि मुसलमान जिस विपक्ष

की ओट में खड़ा है वह विपक्ष ही समाप्त होता दिख रहा है। भारत में हिंदुओं का नेतृत्व मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी करते हुए साफ-साफ दिख रहे हैं, लेकिन मुसलमानों के बीच ऐसा कोई स्पष्ट नेतृत्व नहीं उभर रहा है। मैं बहुत पहले से ही मानता रहा हूँ कि सांप्रदायिकता को सिर्फ कुचला ही जा सकता है, उसे कभी संतुष्ट नहीं किया जा सकता। गांधी के नेतृत्व में हमने सांप्रदायिकता को संतुष्ट करने का प्रयास किया। इसके परिणाम स्वरुप हमें एक तरफ भारत विभाजन मिला तो दूसरी तरफ गांधी हत्या का परिणाम मिला। अब हिंदू समाज दुवारा वैसी गलती नहीं करना चाहता। अब सांप्रदायिकता को निर्दयता से कुचलने के अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं है।

सावरकरवादियों ने तो अपना मार्ग बदल लिया है, उन्होंने तो नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत का नेतृत्व स्वीकार कर लिया है, लेकिन अभी मुसलमानों की सांप्रदायिकता हिंदुओं के साथ समझौते के लिए तैयार नहीं है। इन चुनावों के बाद मुसलमानों को अंतिम निर्णय करना ही होगा या तो वे सांप्रदायिकता को छोड़कर बराबरी के मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो जायें या समाप्त होने के लिए तैयार हो जाएं। इसके अतिरिक्त और कोई तीसरा मार्ग नहीं है।

हमें लोकतंत्र नहीं लोक स्वराज चाहिए :

भारतीय राजनीति में पूरा का पूरा विपक्ष एक स्वर से मांग कर रहा है कि लोकतंत्र को बचाना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। मैं लंबे समय से यह बात कह रहा हूँ कि लोकतंत्र को हटाना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। हम इतने रद्दी लोकतंत्र को अब तक जिस तरह झेल चुके हैं अब हम इसे और ढोने के लिए तैयार नहीं है। यह पश्चिम की दी गई बीमारी है। हमें लोकतंत्र नहीं लोक स्वराज चाहिए। विपक्ष का कहना है कि भारत को सुशासन चाहिए, मेरा कहना है कि समाज को स्वशासन चाहिए। देश के नेता कहते हैं कि देश सबसे बड़ा है लेकिन मैं कहता हूँ कि समाज सबसे बड़ा है। अतः मेरा आपसे निवेदन है कि हमें अब इस प्रकार के लोक स्वराज की दिशा में सोचना शुरू कर देना चाहिए। हम तानाशाही और लोकतंत्र का विकल्प चाहते हैं, हम तानाशाही या लोकतंत्र के बीच में से एक को चुनना ठीक नहीं समझते हैं।

हमारे कई मित्रों ने यह जानना चाहा है कि लोकतंत्र और लोक स्वराज में क्या अंतर होता है। मैंने उचित समझा कि मैं इस विषय पर अलग से आपको कुछ स्पष्ट कर दूं। लोकतंत्र लोक नियुक्त तंत्र होता है जबकि लोक स्वराज लोक नियंत्रित तंत्र होता है। दोनों में महत्वपूर्ण फर्क यह है कि लोकतंत्र में संविधान में संशोधन का अधिकार तंत्र के पास होता है और लोक स्वराज में संविधान सभा अलग से बनती है। इसका अर्थ यह हुआ कि संविधान में संशोधन या बदलाव संविधान सभा और तंत्र दोनों

एकमत होकर ही कर सकते हैं। इन दोनों इकाइयों का अलग-अलग चुनाव लोक अर्थात आम जनता करती है। यदि इन दोनों के बीच में किसी संवैधानिक मामले में असहमति हो जाए तो जनमत संग्रह द्वारा आम जनता का निर्णय अंतिम होता है, यही है लोक स्वराज। इन दोनों के परिणाम बहुत अलग-अलग होते हैं। इन दोनों का परिणाम यह होता है कि लोकतंत्र में समाज की कोई मान्यता नहीं है जबकि लोक स्वराज में समाज सबसे ऊपर होता है। लोकतंत्र में तंत्र शासक होता है और लोक स्वराज में तंत्र व्यक्ति का शासक और व्यक्ति समूह का मैनेजर होता है। लोकतंत्र में अव्यवस्था का होना निश्चित है जबकि लोक स्वराज में अव्यवस्था हो ही नहीं सकती और भी इसके कुछ अलग-अलग परिणाम दिखते हैं। मेरे विचार से लोक स्वराज आदर्श स्थिति है और लोकतंत्र विकृत।

विचार मंथन :

१) २० मार्च २०२४ की रात 8:00 बजे की जूम मीटिंग में महाभारत - धर्म या राजनीति, परिवार या समाज विषय पर बदायूं के वैदिक कथावाचक सुनील देव शास्त्री ने अपने विचार रखे। देशभर के विभिन्न क्षेत्र के लगभग 17 विद्वान इस विचार मंथन में शामिल हुए। महाभारत के माध्यम से लोक संस्कृति के शिक्षण एवं प्रशिक्षण की महत्ता पर विभिन्न प्रकार के विचार आये। जहां अनेक विद्वानों ने महाभारत की सामाजिक व्यवस्था को लोक शिक्षण का माध्यम माना तो वहीं कुछ विद्वानों का यह भी मत था कि अति प्राचीन ग्रंथ जैसे महाभारत और रामायण आज की सामाजिक व्यवस्था में अप्रसांगिक है। वर्तमान परिस्थितियों में जीवन निर्वाह की दुरुहताओं और बिगड़ते सामाजिक पारिवारिक एवं वैयक्तिक प्राथमिकताओं ने परिस्थितियों को कहीं अधिक दुष्कर बना दिया है। इन परिस्थितियों में समाज विज्ञानियों को कहीं अधिक व्यापक और प्रभावशाली समाधान खोजने की आवश्यकता है। धार्मिक मान्यताओं के भंवरजाल में उलझे लोगों को और अधिक सहिष्णुतापूर्वक सम्यक विचार करने की आवश्यकता है। जहां धार्मिक भावनाएं व्यक्ति की वैचारिकी को एक अदृश्य सीमा रेखा में बांध देती है वहीं ऐसे समाधान एक व्यक्ति समूह तक ही सीमित रह जाते हैं। ऐसे में ऐसे समाधान पर विमर्श की आवश्यकता है जो धार्मिक लामबंदी से मुक्त हो और सर्व व्यक्ति समूह के लिए उपयुक्त हो।

२) 21 मार्च 2024 की रात 8:00 बजे मार्गदर्शक संस्थान के दैनिक चर्चा कार्यक्रम में इस बात पर चर्चा हुई कि हम जिस समाज सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं वह परिवार सशक्तिकरण के बिना संभव नहीं है। परिवार व्यवस्था की न्यूनतम इकाई है। समाज व्यवस्था कोई मूर्ति इकाई नहीं है किंतु सर्वोच्च

इकाई है। जिनके हाथों में राज्य व्यवस्था थी उन लोगों ने संसाधनों के निरंकुश एवं असीमित लूट के लिए समाज व्यवस्था की आधारभूत इकाई परिवार व्यवस्था पर जन कल्याण के नाम से अनेक षड्यंत्र किए। इसके लिए स्त्री-पुरुष, युवक-वृद्ध, जैसे आयु और लिंग के आधार पर वर्ग निर्माण कर वर्ग संघर्ष की नींव रखी। ऐसे कानून का निर्माण किया गया जिनसे परिवारों के बीच में संपत्ति, दायित्व, सेवा एवं अधिकार आदि के लिए संघर्ष को बढ़ाया जा सके। देश भर के विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले 15 लोगों ने कल के इस चर्चा में हिस्सा लिया। परिवारों को संवैधानिक दर्जा देने की बात ना करके संविधान निर्माताओं ने तो ग्रामसभा, तहसील और जिला इकाईयों तक को कोई संवैधानिक अधिकार नहीं दिया है। परिवारों को और अधिक लोकतांत्रिक बनाने की आवश्यकता पर लगभग सब ने सहमति दर्ज कराई। मुनि जी के अनुसार संयुक्त संपत्ति और उत्तरदायित्व के आधार पर एक साथ रहने को सहमत व्यक्तियों के समूह को परिवार कहते हैं। परिवार सशक्तिकरण के लिए सब की सामूहिक संपत्ति की व्यवस्था और न्यूनतम दो व्यक्तियों तक के परिवारों को संवैधानिक मान्यता देना एक क्रांतिकारी समाधान हो सकता है। व्यवस्था की सर्वोच्च इकाई समाज व्यवस्था को और व्यवस्था की न्यूनतम इकाई परिवार व्यवस्था को सशक्त बनाए बिना व्यक्ति में बढ़ता आक्रोश हिंसा और सत्ता के बढ़ते केंद्रीयकारण को नहीं रोका जा सकता। जहां व्यक्ति अपने मौलिक अधिकार अर्थात असीम स्वतंत्रता का पूर्ण उपयोग कर परिवार बनाता है, अर्थात व्यक्ति का मौलिक अधिकार परिवार में संयुक्त हो जाता है। ज़ूम मीटिंग का हर विडियो यूट्यूब पर "विचार मंथन" के चैनल पर अपलोड है।

MARGDARSHAK
मार्गदर्शक
"शराफत से समझदारी की ओर"

<u>क्रमशः "जीवन पथ" भाग 2:</u>

विषय का सार संग्रह-

प्रस्तुत विषय में मैनं समाज की अनेक प्रकार की स्थापित मान्यताओं के विपरीत अपने कई दृष्टिकोण प्रस्तुत किए हैं! व्यवहार में स्थापित रुढिवाद तथा मान्यताओं के दुष्प्रभाव के कारण जनसाधारण के लिए उन्हें स्वीकार करना सहज नही होगा। लेकिन दर्शन के परिप्रेक्ष्य में यथार्थ हमसे प्रश्न करता है कि क्या न्याय की गरिमा के विरुद्ध व्यवस्था के ढाँचे का निर्माण एवं निर्वहन करके हम सभ्यता के वाहक बने रह सकेगें? क्योंकि व्यवस्था का गलत ढाँचा मानवता को जख्मी तो करता ही है साथ में उन जख्मों को कुरेदता भी रहता है! परम्पराओं के निर्वहन के विषय में हमे व्यवस्था की नियति का यह सिद्धान्त स्वीकार करना ही होगा कि न तो किसी भी कार्य की प्रासंगिता सदैव बनी रहती है तथा न व्यवस्था का कोई भी ढाँचा सदैव के लिए पर्याप्त और अनुकूल होता है। यह सब यथार्थ की वृत्ति पर निर्भर करता है। जीवन में इच्छा, संवेदना, क्रोध, प्रेम, विचार, विरोध ऐसा कोई विषय नहीं

है जिसकी आवश्यकता न होती हो! लेकिन कब, क्या, क्यों और कैसे की उपयुक्त योजना के अभाव में जो कोई भी इन गुणों का जीवन में प्रयोग करता है, वह भटकाव के सिवाय कुछ भी प्राप्त नही कर पाता है। व्यवस्था के प्रबन्धन का प्रथम सूत्र यही है कि व्यक्ति में या कर्ता में देशकाल परिस्थिति के अनुसार तत्व का ऑकलन करके निर्णय करने की क्षमता विकसित होनी चाहिए। इस अनुभव की प्राप्ती के लिए यथार्थ को अपने गमन का मार्ग चुनने की स्वतन्त्रता निश्चय ही होनी चाहिए। इसके लिए स्थापित मान्यताएं टूटती हों तो टूट जाएं! मूलतः यथार्थपरकता के अभाव में हम जीवन में न्याय, धर्म और अर्थ का समायोजन ही नही कर सकते हैं। यथार्थ हमारे लिए आवश्यकता के महत्व को स्पष्ट करता है।

इस विषय को यदि दर्शन की दृष्टि से देखें तो जीवन की व्यवस्थाओं में होने या किए जाने वाले परिवर्तन को मूलतः परिवर्तन कहा ही नहीं जा सकता है बल्कि ऐसे तमाम कार्य-कलाप तो यथार्थपरक गतिशीलता का विषय होते हैं। जैसे यात्रा गमन हमे एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचा देता है और हमे बदले हुए गणतव्य की व्यवस्था का स्वरुप भी बदला हुआ प्रतीत होता है, लेकिन वह बदला हुआ नही होता है। ठीक इसी प्रकार काल की गति हमारे सामने जीवन पर्यन्त नए यथार्थ को प्रकट करती रहती है। वास्तव में यह परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि यह तो जीवन की गतिशीलता है और यही गतिशीलता हमारे व्यवस्था प्रबन्ध में भी होनी चाहिए। यह अन्वेषित प्रकरण इस सिद्धान्त का प्रतिपादन करता है कि किसी भी यथार्थ को संवारने का नीति नियोजन भी यथार्थ के विवेक के द्वारा उसकी आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए। मनुष्य-जाति यदि मानवता को सन्दर्भ मानकर इस सिद्धान्त का प्रयोग करेगी तो जीवन की मौलिक स्वतन्त्रता को कभी कोई खतरा उत्पन्न नही होगा। वस्तुतः मैने यहाँ पर इस सिद्धान्त का वर्णन तथाकथित धर्म अथवा सम्प्रदायवाद, वर्ग, जाति, उम्र, लिंग, क्षेत्रवाद, अर्थ के दुरूपयोग और ऊँच-नीच जैसे असामाजिक विषयों का महत्व नकारने के लिए किया है। वास्तव में व्यवस्था में यथार्थपरक गतिशीलता से जीवन का वैभव बढ़ता है और जड़ता से वह विनाश को प्राप्त होता है। जीवन में यथार्थपरकता को स्वीकार किए बिना न तो व्यवस्था न्याय संगत बन सकती है, न उसे धर्म से मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है और न समाज के प्रांगण में अर्थ का समग्र नियोजन हो सकता है। इस क्रियात्मक सन्तुलन के अभाव में जीवन में जितने भी विषयों की प्रासंगिता होती है वे सब पथ-भ्रष्ट हो जाते हैं। यही हमारी तात्कालिक व्यवस्था प्रणालियों का दोष है। क्या हमे इनके उपचार का प्रयास नही करना चाहिए। प्रस्तुत उपन्यास की सम्पूर्ण विषय-वस्तु इस केन्द्रीय विचार पर आधारित है। प्रस्तुत विषय में मैने व्यक्ति, परिवार, समाज, न्याय, धर्म, अर्थ, राजनीति, राष्ट्र जैसे विषयों को अपने विचार केन्द्र में रखकर अपनी अवधारणाएं प्रस्तुत की हैं। इस

विषय में अपने तर्क प्रस्तुत करने के बाद भी मेरे विचार यथार्थपरक हैं या नहीं, यह मूल्यांकन समाज करेगा तथा ये विचार स्वीकार किए जाएं या नहीं, यह निर्णय भी समाज ही करेगा। मैं तो समाज का आग्रही हूँ। इस विषय में निहित तथ्यों की विवेचना करने का मेरी दृष्टि में तो केवल एक कारण है कि समाज अपने यथार्थ का विश्लेषण करे। वह रुढ परम्पराओं और वैचारिक जडता से मुक्त हो तथा मानवता की स्वतन्त्रता का सीमांकन न करे। मनुष्य अपने सम्पूर्ण सामाजिक ढाँचे से यह प्रश्न करे कि इस आधुनिक युग में भी उसकी व्यवस्था और व्यवहार में समग्रता क्यों नहीं है? व्यक्ति के सामान्य जीवन में कहीं न्याय का अभाव है, कहीं नीति का अभाव है, कहीं धर्म का तो कहीं अर्थ का अभाव है। आपत्ति केवल इस कारण से है कि यह कैसा भी अभाव प्रकृति की दृष्टि के अनुसार नही है बल्कि या तो व्यक्ति जनित व्यवस्था की अनुपयुक्तता के कारण से है या फिर व्यक्ति की निरंकुशता के कारण है! क्या हम इस सत्य को नकार सकते हैं? व्यक्ति-मात्र को प्रकृति से नही बल्कि स्वयं से और अपनी व्यवस्था से यह प्रश्न करना चाहिए।

इस विश्लेषण में, मैं उपन्यास लेखन की विधा में अपनी कमजोरी के बारे में भी दो शब्द कहुँगा। वास्तव में मुझे इस विधा में लिखने का कोई अनुभव नहीं रहा है क्योंकि संवादो का विस्तृत आकार और उनमें मनोरंजन प्रधानता का अभाव इस विषय में निहित है जो कि उपन्यास लेखन की विधा का मूल गुण होता है। इस विषय में कई सिद्धान्तों का पुनर्लेखन भी हुआ है किन्तु ऐसा होने का मुख्य कारण विभिन्न विषयों का स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना रहा है। यद्यपि इन स्पष्टीकरणों में बहुत से प्रश्नों की उत्पत्ति अब भी शेष है। मेरे विचार से किसी भी अनुसंधान के विषय में प्रश्नों की उत्तत्ति के शेष रह जाने का केवल यह अर्थ नहीं हो सकता है कि उक्त अनुसंधान कार्य अपूर्ण रह गया है, बल्कि यह तर्क हमारे सामने यह दृष्टिकोण भी प्रस्तुत करता है कि किसी भी विषय की पूर्णता उस विषय के अस्तित्व के प्राकृतिक विसर्जन का कारण भी होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो 'बुद्ध' के बाद की भारतीय समाज तथा राज्य व्यवस्था में अहिंसा के प्रयोग ने भारत में अतिशय विदेशी हिंसक राज्य व्यवस्थाओं को पैर जमाने में बहुत मदद की। यद्यपि मैं अपने जीवन में यह तथ्य सदैव ही स्वीकार करूंगा कि समाज को शत प्रतिशत अहिंसक व्यवहार करना चाहिए, किन्तु यहां पर यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि इस विश्लेषण के अनुसार हिंसा के सिद्धान्त को पूर्ण माना जाए अथवा अहिंसा को! वस्तुतः दोनों ही विषयों में इस प्रश्न का अस्तित्व सदैव जीवित रहना चाहिए कि देशकाल परिस्थिति के अनुसार समाज में सन्तुलन की स्थापना के लिए जिस सिद्धान्त की भी अपेक्षा हो उसे प्रयोग में लाया जा सके। अर्थात् सामाजिक व्यवस्थाओं के सिद्धान्तों के विकास के विषय में तो अनुसंधान और विकास का कार्य निरन्तर चलते रहना चाहिए क्योंकि समाज के पटल पर विभिन्न घटनाओं के

MARGDARSHAK
मार्गदर्शक
समझदारी की ओर

परिणामस्वरूप स्थापित व्यवस्था के ढाँचे में यथार्थपरक परिवर्तन का होना आवश्यक होता है। .प्रस्तुत विषय इतिहास पर भी दृष्टि डालता है। वस्तुतः इतिहास सुदृढ़ भविष्य के निर्माण के लिए यथार्थ को शिक्षित करता है कि उसके कार्य की कसौटी क्या होनी चाहिए? इस विषय में, मैं अपना यह सच भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं इतिहास का सक्षम विद्यार्थी नहीं हूँ किन्तु मैनं विषय में प्रस्तुत इतिहास के तर्कों की हानि न होने देने का प्रयास अवश्य किया है। विचार प्रवाह के दृष्टिकोण से यहाँ पर यह जिक्र कर देना भी उचित रहेगा कि मुझसे विषय के प्रस्तुतिकरण में काल्पनिक चरित्रों के नाम में जातिसूचक शब्दों का प्रयोग हुआ है, लेकिन मैं लेशमात्र भी जातिवाद का समर्थक नहीं हूँ। जातिवाद व जातिसूचकता समाज की बुराई है, आवश्यकता नहीं है। मूलतः शब्द जातिसूचक नहीं होते, बल्कि स्वयं की पहचान के लिए बनने वाली हमारी व्यावहारिक अवधारणाएं बहुत से शब्दों को अनावश्यक रूप से जातिसूचक बना देती हैं। भारत में लोग कुल-पूर्वजों के नाम, उपाधियों, गाँव व क्षेत्र के नाम, भाषा व मत-मतान्तरों के नाम, सेवा के पदनाम, पेशे के अनुसार नाम इत्यादि दृष्टिकोण से जन्मे शब्दों को अपने नाम के साथ जोड़ते रहे हैं। समाज में जातियों की स्थापना का अन्य कोई सिद्धान्त नहीं है। इसलिए जाति श्रेष्ठता की स्थापना का विषय नहीं है। ....अस्तु इस तमाम विचार-विमर्श के बाद मैं अपने लेखन के दोषों के लिए सम्प्रभु समाज से क्षमा प्रार्थना करता हूँ तथा मार्गदर्शन प्राप्त कराने की प्रार्थना करते हुए यह परिचय प्रबन्ध समाप्त करता हूँ।

नरेन्द्र रघुनाथ सिंह, बनबोई, बुलन्दशहर (उ0प्र0) 203408, मो0-9012432074

“ज्ञानोत्सव”

ज्ञानयज्ञ परिवार रामानुजगंज द्वारा मई माह में तीन दिवसीय ज्ञानोत्सव कार्यक्रम का आयोजन करने की योजना बनी है। प्रातः यज्ञ और विचार मंथन के साथ शुरू होकर सायंकालीन बेला में वैदिक कथावाचक सुनील देव शास्त्री एवं साध्वी प्रज्ञा साधना जी के द्वारा भागवत कथा और सुप्रसिद्ध समाजविज्ञानी मौलिक विचारक बजरंग मुनि जी के द्वारा ज्ञानकथा का वाचन होगा। 7-8-9 जून 2024 को होने वाले इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य निम्नवत हैं-

- देशभर से सत्यासत्य को निर्भीक और यथार्थवादी दृष्टिकोण रखने वाले 100 मार्गदर्शकों की समिति बनाने की जिन्हें मुनि जी की परिकल्पना के आधार पर निरंतर गम्भीर विचार मंथन के द्वारा तैयार 10 संस्थापक सदस्यों के नामों पर एक आम सहमति साथियों के साथ मिलकर बनायी जा रही है।

MARGDARSHAK
मार्गदर्शक

- मुनि जी के साथ लगातार गम्भीर विचार मंथन करने वाले 20 साथियों के द्वारा मुनि जी के कही बातों का सूत्र रूप में तैयार एक वृहत संकलन भी इस कार्यक्रम में समाज को समर्पित किया जाएगा।
- रामानुजगंज नगर में मुनि जी के आवास में एक ज्ञान केंद्र की शुरूआत भी की जाएगी।
- मदारी आर्ट्स द्वारा नव निर्मित फिल्म "प्रयोग" भी पहली बार दिखाई जाएगी।
- दिन भर अन्य कार्यक्रम चलते रहेंगे।

कार्यक्रम में कोई भी व्यक्ति शामिल हो सकता है। आवास आदि की सुविधा की दृष्टी से अपने आने की पूर्वसूचना 8318621282, 9630766001 इन नंबरों जरूर दें।

- मुनि जी के लेख पत्रिका गतिविधि और समाचारों को जानने के लिए हमारी वेब साईट Margdarshak.INFO विजित करें।
- विभिन्न विषयों पर MARGDARSHAK MEDIA के YOUTUBE चैनल पर विजिट करें।
- सोमवार से शनिवार शाम 8:00 बजे ज़ूम प्लेटफार्म होने वाली चर्चा में जुड़ने के लिए 8318621282 नम्बर पर संपर्क करें। "विचार मंथन" YOUTUBE चैनल पर चर्चा देख सकते है ।